न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–224 / 2022 दायर दिनांक: 08.09.2022
GCMS NO:- 2022/402 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

हरिराम आ0 नारायण जाति मीणा नि0 समीधी।

– प्रार्थी

बनाम

1. सोराज आ0 नारायण जाति मीणा नि0 समीधी।
2. शोपाल आ0 नारायण जाति मीणा नि0 समीधी।
3. रामसहाय आ0 लादू जाति बलाई नि0 समीधी।
4. पप्पू पुत्र लादू जाति बलाई नि0 समीधी।
5. कमलेश पुत्र लादू जाति बलाई नि0 समीधी।
6. बृजमोहन पुत्र लादू जाति बलाई नि0 समीधी।
7. जगदीश पुत्र प्रभू जाति नाई नि0 समीधी।
8. सौभाग पुत्र प्रभू जाति नाई नि0 समीधी।
9. पप्पू पुत्र प्रभू जाति नाई नि0 समीधी।
10. रामकिशन पुत्र केसरा जाति मीणा नि0 समीधी।
11. शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवाँ तहसील नैनवाँ।
12. शाखा प्रबंधक महोदय, आईसीआईसीआई बैंक शाखा देई तहसील नैनवाँ।
13. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नैनवाँ जिला बून्दी।

काली बेवा गोपीलाल जाति मीना नि0 समीधी मृतक द्वारा वारिसान

14. गजानन्द आ0 स्व0 गोपीलाल जाति मीना नि0 समीधी।
15. भैरू आ0 स्व0 गोपीलाल जाति मीना नि0 समीधी।
16. रामलाल आ0 स्व0 गोपीलाल जाति मीना नि0 समीधी।
17. कमलेश आ0 स्व0 गोपीलाल जाति मीना नि0 समीधी।
18. द्वारिका पुत्री स्व0 गोपीलाल पत्नी मोजीराम जाति मीना हाल नि0 पपडिया की झोपडिया तह0 उनियारा।
19. छोटूलाल आ0 स्व0 नारायण जाति बलाई नि0 समीधी।
20. बाबूलाल आ0 स्व0 नारायण जाति बलाई नि0 समीधी।
21. रामनिवास आ0 स्व0 नारायण जाति बलाई नि0 समीधी।
22. भरोसी बाई पुत्री स्व0 नारायण पत्नी गोपीलाल जाति बलाई हाल नि0 लीलदा तह0 नैनवाँ।
23. पाना बाई पुत्री स्व. नारायण पत्नी दशरथ जाति बलाई हाल नि0 हापोलाई तह0 नैनवाँ।

लादू पुत्र धन्ना जाति बलाई नि0 समिधि मृतक द्वारा वारिसान

24. मीरा पुत्री स्व. लादू पत्नी रामदेव जाति बलाई हाल नि0 जौला तह0 पीपलू।
25. कमला पुत्री स्व0 प्रभू जाति नाई हाल नि0 खेडली फाटक जगदीश जेन्टस पार्लर तह0 लाडपुरा।
26. रामप्यारी पुत्री स्व. प्रभू पत्नी रामकरण जाति नाई हाल नि0 गुढादेवजी तह0 नैनवाँ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री सत्यनारायण लवानिया, श्री दीपक कुमार गुर्जर।
अप्रार्थी (अपीलाण्ट) सौभाग एवं अप्रार्थी सं. 4,7,10,14,15,22,23,26 एवं की ओर से वकील श्री महेश योगी।
अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से वकील श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 15.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी हरिराम द्वारा ग्राम जगदीशपुरा प0म0 मानपुरा द्वारा दिनांक 04.12.2019 को ग्राम जगदीशपुरा प0म0 मानपुरा की संवत् 2074–2077 के खाता

संख्या 134 के खसरा नम्बर 186 पर आने आने हेतु रास्ता चाहा गया था जिस क्रम मे इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 28.10.2020 को निर्णय पारित कर दिये जाने वाले रास्ते के एवज् मे प्रतिकर राशि राजकोष मे जमा करवाने के बाद रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर बहाल करने का आदेश जारी किया गया था जिसकी अपील अप्रार्थी (अपीलाण्ट) सौभाग द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां की गयी जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2022 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया तथा तहसीलदार नैनवॉ से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसमे प्रार्थी द्वारा ग्राम जगदीशपुरा के खसरा नम्बर 186 मे आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 182, 184, 185 मे से रास्ता चाहा गया है। उनवानी प्रकरण मे खसरा नम्बर 184 व 185 मे सहखातेदार के रूप मे दर्ज है अतः खातेदार शामलाती है तथा बिना विभाजन के धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना उचित नही होना अवगत कराया।

प्रार्थना पत्र, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय, तहसीलदार रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि पक्षकारान प्रकरण मे सहखातेदार के रूप मे दर्ज है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार नैनवॉ को निर्देशित किया जाता है कि यदि पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 से प्रार्थी द्वारा यदि राशि जमा करवायी गयी हो अथवा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया गया हो तो नियमानुसार राशि लोटायी जावे और राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व स्थिति यथावत रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवा

कार्यालय ...
क्रमांकः– ...
प्रेषितः– ...